

Note

No. HQ/HR/Policy/RTI

Dated: 27.02.2025

आरटीआई संख्या-121

आवेदक का नाम- चंदन सिंह		
क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1.	प्रशासनिक ट्रांसफर होने पर मिलने वाली सीटीजी में अगर कोई कर्मचारी होटल में न रुक कर सेल्फ अरेजमेंट करके रुकता है तो उसको 15 Days सेल्फ अरेजमेंट का पैसा मिलेगा क्या	सीटीजी नीति से संबंधित जारी किए गए अनुदेश संलग्न हैं।
2	अगर किसी कर्मचारी का प्रमोशन पर ट्रांसफर होता है तो उसको सीटीसी नए बेसिक के हिसाब से मिलेगी या पुराने पैसे के हिसाब से मिलेगी।	
3	अगर कोई डीजीआर स्टॉफ अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए जाता है तो क्या उसे टीए/ डीए मिलेगा।	इस विषय से संबंधित मानव संसाधन नियमावली का सारांश संलग्न किया जा रहा है।

Ref: No. 2022/HQ/Admin/RTI-121

GM/HR

AGM/Admin(CPIO)

27/2/25
DGM/HR